اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ़

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰھُمَّ افْتَحْ عَلَیْنَا حِکْمَتَکَ وَانْشُرْ
عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले।

(اَلْمُستطرَف ج۱ ص۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

तालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क़ियामत के रोज़ ह़सरत

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : सब से ज़ियादा ह़सरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इ़ल्म ह़ासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने ह़ासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इ़ल्म ह़ासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़्अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इ़ल्म पर अ़मल न किया)।

(تاریخ دمشق لابن عساکر ج۵۱ ص۱۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मु-तवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़ह़ात कम हों या बाइन्डिग में आगे पीछे हो गए हों तो **मक-त-बतुल मदीना** से रुजूअ़ फ़रमाइये।

www.dawateislami.net

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला **''मसाजिद के आदाब''**

दा'वते इस्लामी की मजलिस **''अल मदीनतुल इल्मिय्या** (शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)'' ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक-त-बतुल मदीना** से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब देते हुए दर्जे ज़ैल मुआ-मलात को पेशे नज़र रखने की कोशिश की गई है :

(1) क़रीबुस्सौत (या'नी मिलती जुलती आवाज़ वाले) हुरूफ़ के आपसी इम्तियाज़ (या'नी फ़र्क़) को वाज़ेह करने के लिये हिन्दी के चन्द मख़्सूस हुरूफ़ के नीचे डॉट (.) लगाने का ख़ुसूसी एहतिमाम किया गया है। मा'लूमात के लिये **''हुरूफ़ की पहचान''** नामी चार्ट मुला-हज़ा फ़रमाइये।

(2) जहां जहां तलफ़्फ़ुज़ के बिगड़ने का अन्देशा था वहां तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदाएगी के लिये जुम्लों में डेश (-) और साकिन हर्फ़ के नीचे खोड़ा (़) लगाने का एहतिमाम किया गया है।

(3) उर्दू में लफ़्ज़ के बीच में जहां ع साकिन आता है उस की जगह हिन्दी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा (') इस्ति'माल किया गया है। म-सलन دعوت،استعمال (दा'वत, इस्ति'माल वग़ैरा)।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़-लती पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

www.dawateislami.net

ह़ुरूफ़ की पहचान

फ = پھ	प = پ	भ = بھ	ब = ب	अ = ا
स = ث	ठ = ٹھ	ट = ٹ	थ = تھ	त = ت
ह़ = ح	छ = چھ	च = چ	झ = جھ	ज = ج
ढ = ڈھ	ड = ڈ	ध = دھ	द = د	ख़ = خ
ज़ = ز	ढ़ = ڑھ	ड़ = ڑ	र = ر	ज़ = ذ
ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س	ज़ = ژ
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ظ	त़ = ط
घ = گھ	ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق
ह = ھ	व = و	न = ن	म = م	ल = ل
ई = اِی / یِ	इ = اِ	ऐ = اے	ए = ے	य = ی

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 ´ E-mail :translationmaktabhind@dawateislami.net

www.dawateislami.net

पहले इसे पढ़ लीजिये !

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ तब्लीगे़ क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक दा'वते इस्लामी के बानी, शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने अपने मख़्सूस अन्दाज़ में सुन्नतों भरे बयानात, इल्मो ह़िक्मत से मा'मूर म-दनी मुज़ा-करात और अपने तरबियत याफ़्ता मुबल्लिग़ीन के ज़रीए थोड़े ही अ़र्से में लाखों मुसल्मानों के दिलों में म-दनी इन्क़िलाब बरपा कर दिया है, आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की सोह़बत से फ़ाएदा उठाते हुए कसीर इस्लामी भाई वक़्तन फ़ वक़्तन मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर होने वाले म-दनी मुज़ा-करात में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के मौज़ूआ़त म-सलन अ़क़ाइदो आ'माल, फ़ज़ाइल व मनाक़िब, शरीअ़त व त़रीक़त, तारीख़ व सीरत, साइन्स व त़िब, अख़्लाक़िय्यात व इस्लामी मा'लूमात, रोज़ मर्रा मुआ़-मलात और दीगर बहुत से मौज़ूआ़त से मु-तअ़ल्लिक़ सुवालात करते हैं और शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه उन्हें ह़िक्मत आमोज़ और इ़श्क़े रसूल में डूबे हुए जवाबात से नवाज़ते हैं।

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه के इन अ़त़ा कर्दा दिलचस्प और इल्मो ह़िक्मत से लबरेज़ म-दनी फूलों की ख़ुश्बूओं से दुन्या भर के मुसल्मानों को महकाने के मुक़द्दस जज़्बे के तह़्त अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या का शो'बा **''फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा''** इन म-दनी मुज़ा-करात को काफ़ी तरामीम व इज़ाफ़ों के साथ **''फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा''** के नाम से पेश करने की सआ़दत ह़ासिल कर रहा है। इन तह़रीरी गुलदस्तों का मुत़ा-लआ़ करने से اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ अ़क़ाइदो आ'माल और ज़ाहिरो बात़िन की इस्लाह़, मह़ब्बते इलाही व इ़श्क़े रसूल की ला ज़वाल दौलत के साथ साथ मज़ीद हुसूले इ़ल्मे दीन का जज़्बा भी बेदार होगा।

इस रिसाले में जो भी ख़ूबियां हैं यक़ीनन रब्बे रह़ीम عَزَّوَجَلَّ और उस के मह़बूबे करीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की अ़त़ाओं, औलियाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام की इनायतों और अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की शफ़्क़तों और पुर ख़ुलूस दुआ़ओं का नतीजा हैं और ख़ामियां हों तो उस में हमारी ग़ैर इरादी कोताही का दख़्ल है।

मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या
(शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)
8 जुमादिल आख़िर 1436 सि.हि.\ 29 मार्च 2015 सि.ई.

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

(मअ़ दीगर दिलचस्प सुवाल व जवाब)

शैत़ान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (36 सफ़ह़ात) मुकम्मल पढ़ लीजिये । اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ मा'लूमात का अनमोल ख़ज़ाना हाथ आएगा ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे आ़ली वक़ार, मदीने के ताजदार, दो आ़लम के मालिको मुख़्तार, ह़बीबे परवर दगार, शफ़ीए़ रोज़े शुमार, जनाबे अह़मदे मुख़्तार صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने मुश्कबार है : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रह़मतें नाज़िल फ़रमाता है और जो मुझ पर दस मर्तबा दुरूदे पाक पढ़े **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस पर सो रह़मतें नाज़िल फ़रमाता है और जो मुझ पर सो मर्तबा दुरूदे पाक पढ़े **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस की दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि येह निफ़ाक़ और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़ियामत शु-हदा के साथ रखेगा ।[1]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

مدینہ

1 ..... مُعْجَمِ اَوسَط، من اسمہ محمد، ۵/۲۵۲، حدیث: ۷۲۳۵

www.dawateislami.net

मस्जिद का कूड़ा कहां डाला जाए ?

अ़र्ज़ : मस्जिद का कूड़ा कहां डाला जाए ?

इर्शाद : मस्जिद का कूड़ा या मस्जिद की चटाई के तिन्के वग़ैरा ऐसी जगह फेंकना मन्अ़ है जहां बे अ-दबी का अन्देशा हो चुनान्चे ह़ज़रते अ़ल्लामा अ़लाउद्दीन मुह़म्मद बिन अ़ली ह़स्कफ़ी عَلَيۡہِ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ الۡقَوِی फ़रमाते हैं : मस्जिद की घास और कूड़ा, झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डालें जिस से उस की ता'ज़ीम में फ़र्क़ आए।[1] यूं ही मस्जिद की कोई चीज़ बोसीदा हो जाए तो उसे ख़रीद कर भी बे अ-दबी की जगह न लगाया जाए जैसा कि मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَیۡہِ رَحۡمَۃُ الرَّحۡمٰن की बारगाह में सुवाल किया गया कि मस्जिद की कोई चीज़ ख़राब हो जाए, उसे बेच कर उस की क़ीमत मस्जिद में दें फिर दूसरा आदमी क़ीमत दे कर मस्जिद की वोह चीज़ अपने मकान में रखे तो उस के लिये जाइज़ है या नहीं ? तो आ'ला ह़ज़रत عَلَیۡہِ رَحۡمَۃُ رَبِّ الۡعِزَّت ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : जाइज़ है मगर उसे बे अ-दबी की जगह न लगाए।[2]

मस्जिद के बक़िय्या मल्बे का हुक्म

अ़र्ज़ : मस्जिद की नई ता'मीरात की वज्ह से पिछली ता'मीर का

मदینہ

1 ...... دُرِّمُختار، کتاب الطہارۃ، ۱/۳۵۵

2 ...... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 16, स. 281 मुलख़्ख़सन

www.dawateislami.net

मल्बा अगर बच जाए तो उस मल्बे के बारे में क्या हुक्म है ?

इर्शाद : मस्जिद की पिछली ता'मीर के बच जाने वाले मल्बे का हुक्म बयान करते हुए मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت फ़रमाते हैं : मस्जिद का अ़मला (मल्बा) जो बच रहे अगर किसी दूसरे वक़्त मस्जिद के काम में आने का हो और रखने से बिगड़े नहीं तो मह़फ़ूज़ रखें वरना बैअ़ (फ़रोख़्त) कर दें और उस के दाम (क़ीमत) मस्जिद की इ़मारत ही में लगाएं लोटे, बोरिया, तेल बत्ती वग़ैरा में सर्फ़ नहीं हो सकता। येह सब काम मु-तवल्ली और दियानत दार अहले मह़ल्ला की ज़ेरे निगरानी हो। बैअ़ किसी अदब वाले मुसल्मान के हाथ हो कि वोह इसे किसी बे जा या नापाक जगह न लगाए। लकड़ी कि जलने के सिवा किसी काम की न रही सक़ाया मस्जिद के सर्फ़ में लाएं और अगर बैअ़ कर दें तो ख़रीदने वाला भी उस को जला सकता है मगर उपले की मइ़य्यत से बचाएं।[1]

एक और मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाते हैं : ह़ाकिमे इस्लाम और जहां वोह न हो तो मु-तवल्लिये मस्जिद व अहले मह़ल्ला को जाइज़ है कि वोह छप्पर कि अब ह़ाजते मस्जिद से फ़ारिग़ है किसी मुसल्मान के हाथ मुनासिब दामों में बेच डालें और ख़रीदने वाला मुसल्मान उसे अपने मकान, निशस्त या बावर्ची ख़ाने या ऐसे ही किसी मकान पर जहां बे ता'ज़ीमी न हो,

مدینہ

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 16, स. 427

www.dawateislami.net

डाल सकता है। पाख़ाना (बैतुल ख़ला) वग़ैरा मवाज़ेए बे हुरमती पर न डालना चाहिये कि उ-लमा ने उस कूड़े की भी ता'ज़ीम का हुक्म दिया है जो मस्जिद से झाड़ कर फेंका जाता है।[1]

मस्जिद में सुवाल करना कैसा ?

अ़र्ज़ : मस्जिद में बा'ज़ लोग खड़े हो कर अपनी मजबूरी और बीमारी वग़ैरा का बयान कर के मदद की अपील करते हैं अगर वोह वाक़ेई ह़क़दार हों, तो क्या उन्हें कुछ दे सकते हैं या नहीं ?

इर्शाद : मस्जिद में अपनी ज़ात के लिये सुवाल करना मन्अ़ है और ऐसे साइल को देना भी जाइज़ नहीं जैसा कि सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : मस्जिद में सुवाल करना ह़राम है और इस साइल को देना भी मन्अ़ है।[2] आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت फ़रमाते हैं : अइम्मए दीन رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ने फ़रमाया है : जो मस्जिद के साइल को एक पैसा दे वोह सत्तर पैसे राहे ख़ुदा में और दे कि उस पैसे के गुनाह का कफ़्फ़ारा हों।[3] इस का ह़ल येह है कि अगर वोह वाक़ेई ह़ाजत मन्द हों तो ख़ुद मस्जिद में सुवाल करने के बजाए इमाम

مدینہ

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 16, स. 258
2 ..... बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 647
3 ..... अह़कामे शरीअ़त, स. 99

www.dawateislami.net

साहिब से राबिता़ कर के अपनी ह़ाजत बयान करें, अब इमाम साहिब उन की मदद के लिये नमाज़ियों से दर-ख़्वास्त करें तो इस में कोई ह़रज नहीं ।

मस्जिद या मद्रसे के लिये चन्दा करना

अ़र्ज़ : क्या मस्जिद में, मस्जिद, मद्रसे या किसी ह़ाजत मन्द मुसल्मान के लिये भी चन्दा नहीं कर सकते ?

इर्शाद : मस्जिद में अपनी ज़ात के लिये सुवाल करना मन्अ़ है, किसी और ह़ाजत मन्द मुसल्मान या दीनी काम म-सलन मस्जिद या मद्रसे के लिये सुवाल करने की मुमा-न-अ़त नहीं जैसा कि फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 16 सफ़ह़ा 418 पर है : मस्जिद में अपने लिये मांगना जाइज़ नहीं और इसे देने से भी उ़-लमा ने मन्अ़ फ़रमाया है यहां तक कि इमाम इस्माईल ज़ाहिद رَحْمَةُاللهِ عَلَيْه ने फ़रमाया : जो मस्जिद के साइल को एक पैसा दे उसे चाहिये कि सत्तर[70] पैसे **अल्लाह** तआ़ला के नाम पर और (या'नी मज़ीद) दे कि उस पैसे का कफ़्फ़ारा हों और (मस्जिद में) किसी दूसरे के लिये मांगा या मस्जिद ख़्वाह किसी और ज़रूरते दीनी के लिये चन्दा करना जाइज़ और सुन्नत से साबित है ।[1]

अह़कामे शरीअ़त में है : मोह़ताज के लिये इमदाद को कहना या किसी दीनी काम के लिये चन्दा करना जिस में न ग़ुल न शोर, न गरदन फलांगना, न किसी की नमाज़ में

مدینہ

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 16, स. 418

www.dawateislami.net

ख़लल (ख़राबी), येह बिला शुबा जाइज़ बल्कि सुन्नत से साबित है और बे सुवाल किसी मोहताज को देना बहुत ख़ूब और मौला अ़ली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم से साबित है।[1] मा'लूम हुवा कि मस्जिद में, मस्जिद या मद्रसे या किसी ह़ाजत मन्द मुसल्मान के लिये चन्दा करना जाइज़ है। उ़मूमन मसाजिद में जुमुअ़तुल मुबारक के रोज़ मसाजिद के लिये चन्दा किया जाता है उस में कुछ न कुछ दे देना चाहिये कि "जुमुआ़ का दिन तमाम दिनों से अफ़्ज़ल है इस में एक नेकी का सवाब सत्तर (70) गुना है।"[2]

मस्जिद में से गुज़रने का हुक्म

अ़र्ज़ : मस्जिद को रास्ता बनाना कैसा है ?

इर्शाद : मस्जिद को रास्ता बनाना या'नी उस के किसी ह़िस्से में से हो कर गुज़रना जाइज़ नहीं है। फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ने बिला ज़रूरत ऐसा करने को ना जाइज़ फ़रमाया है।[3] सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : मस्जिद को रास्ता बनाना या'नी उस में से हो कर गुज़रना ना जाइज़ है, अगर इस की आ़दत करे तो फ़ासिक़ है, अगर कोई इस निय्यत से मस्जिद में गया वस्त़ (दरमियान) में पहुंचा कि नादिम हुवा,

مدینہ

1 ..... अह़कामे शरीअ़त, स. 99

2 ..... मिरआतुोनाजीह़, जि. 2, स. 323

3 ..... غَمْزُ عُيُوْنِ الْبَصَائِر، القول فی احکام المسجد، ۳/۱۸۷ ملخصاً

www.dawateislami.net

तो जिस दरवाज़े से उस को निकलना था उस के सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले और वुज़ू न हो तो जिस त़रफ़ से आया है वापस जाए ।[1]

हां ! अगर कोई मजबूरी हो जैसे रास्ता बन्द है और मस्जिद के रास्ते के इलावा दूसरी जानिब जाने का कोई रास्ता ही नहीं तो ज़रूरतन इस की इजाज़त दी गई है जैसा कि ख़ुला-सतुल फ़तावा में है : एक शख़्स मस्जिद से गुज़रता है और उस को रास्ता बनाता है अगर उ़ज़्र है तो जाइज़ है, बिला उ़ज़्र है तो ना जाइज़ है फिर अगर उस को गुज़रना जाइज़ हो तो हर रोज़ एक मर्तबा उस में नमाज़ पढ़े, न येह कि हर बार जब भी गुज़रे कि इस में ह़रज है ।[2]

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : ब ज़रूरत मस्जिद में हो कर दूसरी त़रफ़ को निकल जाना जाइज़ है कि (आ़म ह़ालात में) मस्जिद में दूसरी त़रफ़ जाने के लिये चलना ह़राम है मगर ब ज़रूरत कि रास्ता घिरा हुवा है और मस्जिद ही में से हो कर जा सकता है जैसे मौसिमे ह़ज में मस्जिदुल ह़राम शरीफ़ में वाक़ेअ़ होता है इस की इजाज़त दी गई है वोह भी जुनुब (जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो) या ह़ाइज़ (ह़ैज़ वाली) या नु-फ़सा (निफ़ास वाली) को नहीं नीज़ घोड़े या बैलगाड़ी को नहीं, (मस्जिद में से) हो कर निकल जाने के

مدینہ

1 ...... बहारे शरीअ़त, जि. 1, ह़िस्सा : 3, स. 645

2 ...... خُلاصۃُ الفتاوٰی، کتاب الصلٰوۃ، الفصل السادس والعشرون...الخ، ۲۲۹/۱

www.dawateislami.net

लिये भी इन का जाना, ले जाना हरगिज़ जाइज़ नहीं ।[1]

मस्जिद को सड़क बनाना कैसा ?

अ़र्ज़ : पूरी मस्जिद या इस के किसी हि़स्से को शहीद कर के लोगों के लिये सड़क (Road) बनाना कैसा है ?

इर्शाद : पूरी मस्जिद या इस के किसी हि़स्से को शहीद कर के उस पर सड़क (Road) बनाना ह़रामे क़त़्ई है, इस से मस्जिद की बे हुरमती और उसे वीरान करना लाज़िम आता है लिहाज़ा येह सख़्त ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है चुनान्चे पारह 1 **सू-रतुल ब-क़रह** की आयत नम्बर 114 में ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन जो **अल्लाह** की मस्जिदों को रोके उन में नामे ख़ुदा लिये जाने से और उन की वीरानी में कोशिश करे ।

इस आयते मुबा-रका के तह़्त सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِى फ़रमाते हैं : मस्जिद की वीरानी जैसे ज़िक्र व नमाज़ को रोकने से होती है ऐसे ही उस की इ़मारत के नुक़्सान पहुंचाने और बे हुरमती करने से भी ।

مدینہ

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 16, स. 352

www.dawateislami.net

फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : अगर लोगों ने इरादा किया कि मस्जिद का कोई टुकड़ा मुसल्मानों के लिये गुज़र-गाह (या'नी सड़क) बना दें, तो कहा गया है कि उन्हें ऐसा करने का इख़्तियार नहीं और बिला शुबा येही सहीह़ है।[1] ऐसे ही एक सुवाल के जवाब में आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : बेशक ऐसा करना ह़रामे क़त्ई और ज़रूर हुक़ूक़े मस्जिद पर तअद्दी (ह़द से बढ़ना) और वक़्फ़े मस्जिद में नाह़क़ दस्त अन्दाज़ी (मुदा-ख़लत) शर-ए मुत़ह्हर में बिला शर्ते वाक़िफ़ कि उसी वक़्फ़ की मस्लह़त (ख़ूबी या भलाई) के लिये हो वक़्फ़ की हैअत (बनावट या सूरत) बदलना भी ना जाइज़ है अगर्चे अस्ल मक़्सूद बाक़ी रहे, तो बिल्कुल मक़्सदे वक़्फ़ बात़िल कर के एक दूसरे काम के लिये देना क्यूंकर ह़लाल हो सकता है।[2]

छोटे ना समझ बच्चों को मस्जिद में लाना

अ़र्ज़ : छोटे छोटे बच्चे जो मस्जिद में दन्दनाते और शोर मचाते फिर रहे होते हैं, इन का जुर्म किस पर है ?

इर्शाद : छोटे बच्चों और पागलों को मस्जिद में लाने की ह़दीसे पाक में मुमा-न-अ़त आई है चुनान्चे ख़ल्क़ के रहबर, शाफ़ेए

مدینہ

❶...... فتاوىٰ هنديه، ٢/٤٥٧

❷...... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 16, स. 351

www.dawateislami.net

महशर, महबूबे दावर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने हिदायत निशान है : मस्जिदों को बच्चों, पागलों, ख़रीदो फ़रोख़्त, झगड़े, आवाज़ बुलन्द करने, हुदूद क़ाइम करने और तल्वार खींचने से बचाओ । इन के दरवाज़ों पर तहारत ख़ाने बनाओ और जुमुआ के दिन मसाजिद को धूनी दिया करो ।[1] उ़मूमन मुशा-हदा येही है कि जब छोटे बच्चे मस्जिद में जम्अ़ होते हैं तो आपस में शरारतें शुरूअ़ कर देते हैं, नमाज़ियों के आगे से गुज़रते और ख़ूब ऊधम मचाते हैं नीज़ दौराने नमाज़ बसा अवक़ात रोना शुरूअ़ कर देते हैं जिस से नमाज़ में ज़बर दस्त ख़लल आता और मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होता है और कभी कभार तो मस्जिद में पेशाब पाख़ाने तक कर देते हैं तो इन सारी बातों का वबाल बच्चों को मस्जिद में लाने वाले पर आता है जब कि वोह लाने वाला बालिग़ हो लिहाज़ा छोटे बच्चों को हरगिज़ मस्जिद में न लाया जाए । **याद रखिये !** ऐसा बच्चा जिस से नजासत (या'नी पेशाब वग़ैरा कर देने) का ख़त़रा हो और पागल को मस्जिद के अन्दर ले जाना ह़राम है और अगर नजासत का ख़त़रा न हो तो मक्रूह है ।[2] इसी त़रह़ बच्चे या पागल या बेहोश या जिस पर जिन्न आया हुवा हो इन सब को दम करवाने के लिये भी मस्जिद में ले जाने की शरीअ़त में इजाज़त नहीं । अगर कोई

مدینہ

1 ..... اِبنِ ماجہ، کتاب المساجد و الجماعات، باب مایکرہ فی المساجد، ۱/۴۱۵، حدیث: ۷۵۰

2 ..... دُرِّ مُختار، کتاب الصلاۃ، باب مایفسد الصلاۃ...الخ، ۲/۵۱۸

www.dawateislami.net

पहले येह भूल कर चुका है तो उसे चाहिये कि फ़ौरन तौबा कर के आयिन्दा उन्हें न लाने का अ़ह्द कर ले । हां फ़िनाए मस्जिद म-सलन इमाम साहि़ब के हुजरे में उन्हें दम करवाने के लिये ले जाने में ह़रज नहीं जब कि मस्जिद के अन्दर से गुज़रना न पड़े ।

सोते वक़्त इ़मामे या मुसल्ले को तक्या बनाना

अ़र्ज़ : क्या सोते वक़्त इ़मामे या मुसल्ले को तक्या बना सकते हैं ?

इर्शाद : सोते वक़्त इ़मामे और मुसल्ले को तक्या नहीं बनाना चाहिये कि येह ख़िलाफ़े अदब है जैसा कि सदरुश्शरीअ़ह, बदरुत़्तरीक़ह ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुह़म्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : पाजामे का तक्या न बनाए कि येह अदब के ख़िलाफ़ है और इ़मामे का भी तक्या न बनाए ।[1] ह़याते आ'ला ह़ज़रत में है : सर के नीचे इ़मामा या मुसल्ला या पाजामा रखना मम्नूअ़ कि इ़मामा व मुसल्ला रखने से इ़मामे और मुसल्ले की और पाजामा रखने से सर की बे हुरमती है नीज़ इ़मामे के शम्ले से नाक या मुंह पोछना न चाहिये ।[2]

मन्च के बजाए सीढ़ियों पर बैठने में ह़िक्मत

अ़र्ज़ : (रबीउ़ल अव्वल 1418 सि.हि. की बारहवीं शब तक़रीबन 12

مدینہ

1 ..... बहारे शरीअ़त, जि. 3, ह़िस्सा : 16, स. 660

2 ..... ह़याते आ'ला ह़ज़रत, ह़िस्सा : 3, स. 90

www.dawateislami.net

बजे इज्तिमाए़ मीलाद में बयान करने के लिये जब शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना **अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार** क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه तशरीफ़ लाए तो तिलावत शुरूअ़ हो चुकी थी चुनान्चे आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه मन्च पर जल्वा-गर होने के बजाए ह़ाज़िरीन से नज़र बचा कर मन्च की सीढ़ियों पर बैठ कर तिलावत सुनने में मश्ग़ूल हो गए। तिलावत ख़त्म होने के बा'द जब आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه मन्च पर तशरीफ़ लाए तो आप की ख़िदमत में येह अ़र्ज़ की गई :) हुज़ूर येह इर्शाद फ़रमाइये कि इज्तिमाए़ मीलाद में आप बराहे रास्त मन्च पर तशरीफ़ लाने के बजाए सीढ़ियों पर बैठ गए, इस में क्या ह़िक्मत थी ?

इर्शाद : जिस वक़्त क़ुरआने करीम की तिलावत की जाए तो उसे तवज्जोह से सुनना और ख़ामोश रहना वाजिब है जैसा कि क़ुरआने मजीद के पारह 9 **सू-रतुल आ'राफ़** की आयत नम्बर 204 में ख़ुदाए रह़मान عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने आ़लीशान है :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और जब क़ुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और ख़ामोश रहो कि तुम पर रह़म हो।

इस आयते मुबा-रका के तह़्त सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى फ़रमाते हैं : ''इस आयत से साबित हुवा जिस वक़्त क़ुरआने करीम पढ़ा जाए ख़्वाह नमाज़ में या

www.dawateislami.net

ख़ारिजे नमाज़, उस वक़्त सुनना और ख़ामोश रहना वाजिब है।''

फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : जब बुलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ा जाए तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना फ़र्ज़ है जब कि वोह मज्मअ़ ब ग़रज़ सुनने के हाज़िर हो वरना एक का सुनना काफ़ी है अगर्चे और अपने काम में हों।[1] मैं चूंकि इज्तिमाए़ मीलाद में हाज़िरी की सआ़दत पाने के लिये हाज़िर हुवा था और मेरे साथ आने वाले और इज्तिमाए़ मीलाद में मौजूद इस्लामी भाई भी इसी निय्यत से हाज़िर हुए थे इस लिये हम सब पर तिलावते कुरआन का सुनना वाजिब था। दौराने तिलावत अगर मैं मन्च पर आ जाता तो ऐ़न मुम्किन था कि लोग खड़े हो जाते और कोई ना'रा लगा देता, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वज्ह से कोई इस्लामी भाई तिलावते कुरआन न सुनने के गुनाह में पड़ जाए इस लिये मैं मन्च के ऊपर आने के बजाए नीचे सीढ़ियों पर ही बैठ गया।

बुलन्द आवाज़ से तिलावत करने की मुमा-न-अ़त

अ़र्ज़ : बुलन्द आवाज़ से कुरआने मजीद की तिलावत करना कब मन्अ़ है ?

इर्शाद : कुरआने पाक की तिलावत करना और सुनना बिला शुबा बड़े अज्रो सवाब का काम है, तिलावते कुरआन करने वाले

مدینہ

1 ..... غُنْيَةُ الْمُتَمَلِّي، القراءة خارج الصلوة، ص۴۹۷ ملخصاً

www.dawateislami.net

को हर हर ह़र्फ़ के बदले एक एक नेकी अ़त़ा की जाती है जो दस नेकियों के बराबर होती है मगर चन्द ऐसी सूरतें हैं जिन में बुलन्द आवाज़ से तिलावत करने की फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने मुमा-न-अ़त बयान फ़रमाई है : **मज्मअ़** में सब लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ें येह ह़राम है, अक्सर तीजों में सब बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं येह ह़राम है, अगर चन्द शख़्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें ।[1]

जहां कोई शख़्स इ़ल्मे दीन पढ़ रहा है या त़ालिबे इ़ल्म इ़ल्मे दीन की तक्रार करते या मुत़ा-लआ़ करते हुए देखें, वहां भी बुलन्द आवाज़ से क़ुरआने पाक पढ़ना मन्अ़ है । इसी त़रह़ बाज़ारों में और जहां लोग काम में मश्ग़ूल हों बुलन्द आवाज़ से पढ़ना ना जाइज़ है, लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है । अगर काम में मश्ग़ूल होने से पहले इस ने पढ़ना शुरूअ़ कर दिया हो और अगर वोह जगह काम करने के लिये मुक़र्रर न हो तो अगर पहले पढ़ना इस ने शुरूअ़ किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह और अगर काम शुरूअ़ करने के बा'द इस ने पढ़ना शुरूअ़ किया तो इस पर गुनाह ।[2]

مدینہ

1 ..... बहारे शरीअ़त, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 552

2 ..... غُنْيَةُ الْمُتَمَلِّي، القراءة خارج الصلوة، ص۴۹۷ ملخصاً

www.dawateislami.net

क़ुरआने पाक पढ़ कर भुला देने का गुनाह

अ़र्ज़ : बा'ज़ लोग क़ुरआने पाक हिफ़्ज़ कर के भुला देते हैं उन के बारे में क्या हुक्म है ?

इर्शाद : क़ुरआने मजीद हिफ़्ज़ कर के भुला देने वाले अहादीसे मुबा-रका में बयान कर्दा वईदों के मुस्तहिक़ हैं चुनान्चे हादिये राहे नजात, सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किये गए यहां तक कि तिन्का कि आदमी जिसे मस्जिद से निकालता है और मेरी उम्मत के गुनाह मेरे हुज़ूर पेश किये गए तो मैं ने इस से बड़ा गुनाह नहीं देखा कि आदमी को क़ुरआन की एक सूरत या आयत याद हो और फिर वोह उसे भुला दे ।[1]

ह़ज़रते सय्यिदुना सा'द बिन उ़बादा رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه से रिवायत है कि सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने इ़ब्रत निशान है : जिस ने क़ुरआने पाक पढ़ कर याद किया और फिर उस को भूल जाए तो क़ियामत के दिन **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के पास कोढ़ी हो कर आएगा ।[2]

एक और मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : क़ियामत के दिन मेरी उम्मत को जिस गुनाह का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा वोह येह है कि इन में से किसी को क़ुरआने पाक की कोई सूरत याद थी

مدینہ

1 ..... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب (ت: ۱۹)، ۴/۴۲۰، حدیث: ۲۹۲۵

2 ..... ابوداود، کتاب الوتر، باب التشدید فیمن حفظ القرآن ثم نسیہ، ۲/۱۰۷، حدیث: ۱۴۷۴

www.dawateislami.net

फिर उस ने उसे भुला दिया ।[1]

आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : उस (या'नी क़ुरआने मजीद को याद कर के भूल जाने वाले) से ज़ियादा नादान कौन है जिसे ख़ुदा ऐसी हिम्मत बख़्शे और वोह उसे अपने हाथ से खो दे । अगर क़द्र इस की जानता और जो सवाब और द-र-जात इस पर मौऊ़द हैं (या'नी जिन का वा'दा किया गया है) उन से वाक़िफ़ होता तो इसे जानो दिल से ज़ियादा अ़ज़ीज़ रखता । मज़ीद फ़रमाते हैं : जहां तक हो सके इस के पढ़ाने और ह़िफ़्ज़ कराने और ख़ुद याद रखने में कोशिश करे ताकि वोह सवाब जो इस पर मौऊ़द हैं ह़ासिल हों और रोज़े क़ियामत अन्धा कोढ़ी हो कर उठने से नजात पाए ।[2] ह़ुफ़्फ़ाज़े किराम को सख़्त मेह़नत और एह़तियात़ की ज़रूरत है । इन्हें चाहिये कि दिन रात कोशिश करें और क़ुरआने पाक को याद रखें ताकि सवाब के ह़क़दार बनें और क़ियामत के दिन कोढ़ी हो कर उठने से नजात पाएं ।

क़र्ज़ की अदाएगी में बिला वज्ह ताख़ीर करना

अ़र्ज़ : क़र्ज़ की अदाएगी में बिला वज्ह ताख़ीर करना या क़र्ज़ ही दबा लेना कैसा है ?

مدینہ

1 ..... کنز العمّال، کتاب الاذکار، الفصل الثالث... الخ، الجزء: ۱، ۱/ ۳۰۶، حدیث: ۲۸۴۳

2 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 23, स. 645 ता 647

www.dawateislami.net

इर्शाद : फ़ु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ने बिला ह़ाजते शर-ई अदाए क़र्ज़ में ताख़ीर को भी ज़ुल्म क़रार दिया है तो किसी से क़र्ज़ ले कर सिरे से वापस ही न करना तो इस से भी सख़्त तर मुआ़-मला है। इस बारे में चन्द अह़ादीसे मुबा-रका मुला-ह़ज़ा फ़रमाइये और इस से बचने की कोशिश कीजिये :

सरकारे आ़ली वक़ार, मदीने के ताजदार, ह़बीबे परवर दगार صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : (क़र्ज़ की अदाएगी में) साह़िबे इस्तित़ाअ़त का टाल मटोल करना ज़ुल्म है।[1] इस्तित़ाअ़त वाले का क़र्ज़ की अदाएगी में टाल मटोल करना, इस की आबरू (इ़ज़्ज़त) और इस की सज़ा को ह़लाल कर देता है।[2] या'नी उसे बुरा कहना उस पर त़ा'नो तश्नीअ़ करना जाइज़ हो जाता है।[3]

ताजदारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : शहीद (या'नी वोह शख़्स जिस ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की राह में जान दी है उस) का हर गुनाह मुआ़फ़ हो जाएगा सिवाए क़र्ज़ के।[4]

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू सईद ख़ुदरी رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه फ़रमाते हैं कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْم की ख़िदमत

مدینہ

1 ..... بخاری، کتاب فی الاستقراض...الخ، باب مطل الغنی ظلم، ۲/۱۰۹، حدیث: ۲۴۰۰

2 ..... بخاری، کتاب فی الاستقراض...الخ، باب لصاحب الحق مقال، ۲/۱۰۹، حدیث: ۲۴۰۰

3 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 25, स. 69

4 ..... مُسلِم، کتاب الإمارۃ، باب من قتل فی سبیل اللّٰہ...الخ، ص ۱۰۴۶، حدیث: ۱۸۸۶

www.dawateislami.net

में नमाज़ पढ़ाने के लिये जनाज़ा लाया गया तो हुज़ूर सय्यिदे दो आ़लम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस्तिफ़्सार फ़रमाया : इस मरने वाले पर कोई क़र्ज़ तो नहीं है ? अ़र्ज़ की गई, जी हां ! इस पर क़र्ज़ है । हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने पूछा, इस ने कुछ माल भी छोड़ा है कि जिस से येह क़र्ज़ अदा किया जा सके ? अ़र्ज़ की गई : नहीं । तो हुज़ूर सय्यिदे दो आ़लम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : "तुम लोग इस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो (मैं नहीं पढूंगा) ।" ह़ज़रते सय्यिदुना मौला अ़ली كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ने येह देख कर अ़र्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! मैं इस के क़र्ज़ को अदा करने की ज़िम्मादारी लेता हूं । हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم आगे बढ़े और नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और फ़रमाया : "ऐ अ़ली (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه) ! **अल्लाह** तआ़ला तुझे जज़ाए ख़ैर दे और तेरी जां बख़्शी हो जैसे कि तू ने अपने इस मुसल्मान भाई के क़र्ज़ की ज़िम्मादारी ले कर इस की जान छुड़ाई । कोई भी मुसल्मान ऐसा नहीं है जो अपने मुसल्मान भाई की त़रफ़ से उस का क़र्ज़ा अदा करेगा मगर येह कि **अल्लाह** तआ़ला क़ियामत के दिन इस को रिहाई बख़्शेगा ।"[1]

मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौला शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से क़र्ज़े की अदाएगी में सुस्ती और झूटे ह़ियलो हुज्जत करने वाले शख़्स ज़ैद के बारे

مدینہ

1 ...... سُنَنُ الْكُبْرٰی، کتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، ۶/۱۲۱، حدیث: ۱۱۳۹۸

www.dawateislami.net

में इस्तिफ़्सार हुवा तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने इर्शाद फ़रमाया : ज़ैद फ़ासिक़ो फ़ाजिर, मुर-तकिबे कबाइर, ज़ालिम, कज़्ज़ाब, मुस्तहिक़े अ़ज़ाब है । इस से ज़ियादा और क्या अल्क़ाब अपने लिये चाहता है ? अगर इस ह़ालत में मर गया और दैन (क़र्ज़) लोगों का इस पर बाक़ी रहा, इस की नेकियां उन (क़र्ज़ ख़्वाहों) के मुत़ा-लबे में दी जाएंगी और क्यूंकर दी जाएंगी (या'नी किस त़रह़ दी जाएंगी । येह भी सुन लीजिये) तक़्रीबन तीन पैसा दैन (क़र्ज़) के इ़वज़ (या'नी बदले) सात सो नमाज़ें बा जमाअ़त (देनी पड़ेंगी) । जब इस (क़र्ज़ा दबा लेने वाले) के पास नेकियां न रहेंगी उन (क़र्ज़ ख़्वाहों) के गुनाह इस (मक़्रूज़) के सर पर रखे जाएंगे और आग में फेंक दिया जाएगा ।[1]

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हुक़ूक़ुल इ़बाद का मुआ़-मला निहायत ही सख़्त है । अगर आप ने किसी से क़र्ज़ लिया और अदाएगी के लिये रक़म पास नहीं है मगर घर के अस्बाब, फ़र्नीचर वग़ैरा बेच कर क़र्ज़ अदा किया जा सकता है तो येह भी करना पड़ेगा । क़र्ज़ अदा करने की मुम्किन सूरत होने के बा वुजूद क़र्ज़दार से मोहलत लिये बिग़ैर आप क़र्ज़ की अदाएगी में जब तक ताख़ीर करते रहेंगे गुनहगार होते रहेंगे । ख़्वाह आप जाग रहे हों या सो रहे हों आप के गुनाहों का

مدینہ

1 ..... फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 25, स. 69

www.dawateislami.net

मीटर चलता रहेगा, اَلْاَمَان وَالْحَفِيْظ । जब क़र्ज़ की अदाएगी में ताख़ीर का येह वबाल है तो जो कोई पूरा क़र्ज़ ही दबा ले उस का क्या ह़ाल होगा ?

मत दबा क़र्ज़ा किसी का ना-बकार

रोएगा दोज़ख़ में वरना ज़ार ज़ार

अच्छी निय्यत से क़र्ज़ लेना

अ़र्ज़ : अगर कोई शख़्स क़र्ज़ ले और उस की निय्यत भी अदा करने की हो मगर इस के बा वुजूद वोह अदा न कर पाए तो ऐसे शख़्स के बारे में क्या हुक्म है ?

इर्शाद : अगर कोई शख़्स अदा करने की निय्यत से क़र्ज़ ले तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस की अच्छी निय्यत की बदौलत उस के लिये अस्बाब पैदा फ़रमा देगा जिस से उस का क़र्ज़ उतर जाएगा । हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने मुअ़ज़्ज़म है : जिस शख़्स ने लोगों का माल (बत़ौरे क़र्ज़) लिया और वोह उस के अदा करने की निय्यत रखता है तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस की त़रफ़ से अदा कर देता है और जो ह़ज़्म करने के लिये लेता है **अल्लाह** तआ़ला उसे अदा करने की तौफ़ीक़ नहीं देता ।[1]

इस ह़दीसे पाक के तह़्त शारेह़े बुख़ारी मुफ़्ती शरीफ़ुल ह़क़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی फ़रमाते हैं : येह हुस्ने निय्यत की

مدینہ

1 ..... بخاری، کتاب فی الاستقراض...الخ، باب من اخذ اموال الناس...الخ، ۲/۱۰۵، حدیث: ۲۳۸۷

www.dawateislami.net

ब-र-कत और बद निय्यती की नुहूसत का बयान है कि जो शख़्स इन्शिराहे़ सद्र के साथ अदा करना चाहेगा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस की मदद फ़रमाएगा ताकि वोह आख़िरत के मुवा-ख़ज़े से बच सके और जिस की निय्यत में फ़ुतूर होता है उसे इस तौफ़ीक़ से महरूम रखता है और वोह क़र्ज़ अदा न करने के वबाल में गिरिफ़्तार रहता है ।[1]

अच्छी निय्यत से क़र्ज़ लेने वाले के क़र्ज़ की अदाएगी के लिये फ़िरिश्ते दुआ करते हैं जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى फ़रमाते हैं : जो शख़्स क़र्ज़ लेता है और येह निय्यत करता है कि मैं अच्छी त़रह़ अदा कर दूंगा तो **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस पर चन्द फ़िरिश्ते मुक़र्रर फ़रमा देता है जो उस की हिफ़ाज़त करते और उस के लिये दुआ करते हैं कि इस का क़र्ज़ अदा हो जाए और अगर क़र्ज़दार क़र्ज़ अदा करने की त़ाक़त रखता है तो अब क़र्ज़ ख़्वाह की मरज़ी के बिग़ैर एक घड़ी भर भी ताख़ीर करेगा तो गुनहगार होगा और ज़ालिम क़रार पाएगा । चाहे रोज़े की ह़ालत में हो या सोया हुवा हो उस के ज़िम्मे बराबर गुनाह लिखा जाता रहेगा और हर ह़ाल में उस पर **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की ला'नत पड़ती रहेगी । येह एक ऐसा गुनाह है जो नींद की ह़ालत में भी उस के साथ रहता है और अदा करने की त़ाक़त के लिये येह शर्त़ नहीं कि

مدینہ

1 ..... नुज़्हतुल क़ारी, जि. 3, स. 635

www.dawateislami.net

नक़्द रक़म हो बल्कि अगर कोई चीज़ (म-सलन घर के बरतन, फ़र्नीचर, फ़्रीज़र वग़ैरा) बेच कर अदा कर सकता है तो ऐसा भी करना पड़ेगा ।[1]

क़र्ज़दार को मोहलत देने के फ़ज़ाइल

अर्ज़ : क्या क़र्ज़दार को मोहलत देने की भी कोई फ़ज़ीलत है ?

इर्शाद : जी हां । क़र्ज़दार को मोहलत देने और तक़ाज़े में नरमी बरत्ने के क़ुरआनो ह़दीस में बहुत फ़ज़ाइल बयान हुए हैं चुनान्चे पारह 3 **सू-रतुल ब-क़रह** की आयत नम्बर 280 में इर्शादे रब्बुल इ़बाद है :

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और अगर क़र्ज़दार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक और क़र्ज़ उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर जानो ।

इस आयते मुबा-रका के तह़्त सदरुल अफ़ाज़िल ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना सय्यिद मुह़म्मद नई़मुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى फ़रमाते हैं : ''क़र्ज़दार अगर तंगदस्त या नादार हो तो उस को मोहलत देना या क़र्ज़ का जुज़्व या कुल मुआ़फ़ कर देना सबबे अज्रे अ़ज़ीम है । मुस्लिम शरीफ की ह़दीस है सय्यिदे आ़लम صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जिस ने तंगदस्त को मोहलत दी या उस का क़र्ज़ा मुआ़फ़ किया

مدینہ

1 ..... کیمیائے سعادت، باب چہارم، ۱/۳۳۶

www.dawateislami.net

अल्लाह तआ़ला उस को अपना सायए रह़मत अ़त़ा फ़रमाएगा जिस रोज़ उस के साए के सिवा कोई साया न होगा ।''

सरकारे मदीनए मुनव्वरह, सरदारे मक्कए मुकर्रमा صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमाने आ़लीशान है : जिस शख़्स को येह बात पसन्द हो कि **अल्लाह** तआ़ला उसे क़ियामत के दिन ग़म से बचाए, तो उसे चाहिये कि तंगदस्त क़र्ज़दार को मोहलत दे या क़र्ज़ का बोझ उस के ऊपर से उतार दे (या'नी मुआ़फ़ कर दे) ।[1]

हमारे बुज़ुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن न सिर्फ़ अपने क़र्ज़दार को क़र्ज़ की अदाएगी में मोहलत देते, तक़ाज़े में नरमी का बरताव करते बल्कि बसा अवक़ात क़र्ज़ की मुआ़फ़ी से भी नवाज़ दिया करते थे जैसा कि ह़ज़रते सय्यिदुना शक़ीक़ बिन इब्राहीम عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكَرِيْم फ़रमाते हैं मैं एक दिन ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم के साथ किसी रास्ते से गुज़र रहा था जब कि आप رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه किसी मरीज़ की इ़यादत के लिये जा रहे थे । आप رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने दूर से एक शख़्स आता देखा लेकिन उस ने फ़ौरन अपने आप को ह़ज़रते सय्यिदुना इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم से छुपाते हुए रास्ता बदल लिया । आप رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ने उसे नाम ले कर पुकारा और फ़रमाया : तुम जिस रास्ते पर हो उसी पर चलते आओ,

مدینہ

1 ..... مُسْلِم، کتاب المساقاۃ، باب فضل إنظار المعسر، ص ۸۴۵، حدیث: ۱۵۶۳

www.dawateislami.net

दूसरी राह इख़्तियार न करो। उस ने देखा कि इमाम साहिब رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने इसे पहचान लिया है और बुला लिया है तो बहुत शरमिन्दा हुवा और वहीं रुक गया। आप رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने उस से पूछा : तुम ने अपना रास्ता क्यूं तब्दील किया ? उस ने बताया : हुज़ूर ! आप का मेरे ज़िम्मे दस हज़ार दिरहम क़र्ज़ है और इस बात को अ़र्सा हो चुका है मगर मैं आप का क़र्ज़ अदा न कर सका तो मुझे आप को देख कर बहुत शर्म महसूस हुई। (या'नी मैं इस शरमिन्दगी की वज्ह से आप को मुंह दिखाना नहीं चाहता था) आप رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ने उस से फ़रमाया : سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ ! तेरा मुआ़-मला यहां तक पहुंच गया कि तुम ने मुझे देखा तो मुझ से (क़र्ज़ के तक़ाज़े के ख़ौफ़ और शरमिन्दगी की वज्ह से) ख़ुद को छुपा लिया, जाओ ! मैं ने तुम्हें अपना तमाम क़र्ज़ मुआफ़ किया और मैं ख़ुद इस पर गवाह हूं, आयिन्दा मुझ से आंख न बचाना और मेरी त़रफ़ से जो चीज़ तुम्हारे दिल में दाख़िल हुई है उस से ख़ुद को बरी समझ कर मुझ से मिला करो। हज़रते सय्यिदुना शक़ीक़ बिन इब्राहीम عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَرِیْم फ़रमाते हैं कि (आप رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه का येह हुस्ने सुलूक देख कर) मैं ने जान लिया कि आप رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْه वाक़ेई ज़ाहिद (या'नी दुन्या से बे रग़बती रखने वाले) हैं।[1]

مدینہ

1 ...... مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، قصۃ زید بن علی...الخ، الجزء:۱،۱/۲۶۰

www.dawateislami.net

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि हमारे इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم ने अपने क़र्ज़दार का शरमिन्दगी की वज्ह से छुप कर रास्ता बदलना भी गवारा न किया और कमाले हुस्ने सुलूक और दरिया दिली का मुज़ा-हरा करते हुए उस का तमाम क़र्ज़ मुआफ़ फ़रमा दिया। काश ! हमें भी येह जज़्बा नसीब हो जाए कि हम भी अपने क़र्ज़दारों के साथ तक़ाज़े में नरमी बरतें और मुम्किना सूरत में अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ क़र्ज़ मुआफ़ कर के अज्रो सवाब कमाने वाले बन जाएं। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی عليه واٰله وسلَّم

क़र्ज़ उतारने के वज़ाइफ़

अ़र्ज़ : क़र्ज़ उतारने का कोई वज़ीफ़ा इर्शाद फ़रमा दीजिये।

इर्शाद : क़र्ज़ उतारने के तीन वज़ाइफ़ पेशे ख़िदमत हैं :

(1) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَال[1]

इस वज़ीफ़े को जो कोई एक बार पढ़े اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ वोह ग़मो अलम से महफ़ूज़ रहेगा और जो शख़्स मक़रूज़ हो तो अदाए क़र्ज़ के लिये इस वज़ीफ़े को ता हुसूले मुराद सुब्ह़ व शाम ग्यारह ग्यारह बार (अव्वल व आख़िर एक एक मर्तबा दुरूदे पाक) पढ़ने से اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ ग़ैब से उस के क़र्ज़ के अस्बाब

مدینہ

1 ...... اَبوداود، کتاب الوتر، باب فی الاستعاذۃ، ۲/۱۳۳، حدیث: ۱۵۵۵ ماخوذاً

www.dawateislami.net

मुहय्या हो जाएंगे ।[1]

(2) एक मुकातब[2] ने अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना मौलाए काएनात, मौला मुश्किल कुशा, अ़लिय्युल मुर्तज़ा शेरे ख़ुदा كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم की बारगाह में ह़ाज़िर हो कर अ़र्ज़ की : मैं अपनी किताबत (या'नी आज़ादी की क़ीमत) अदा करने से आ़जिज़ हूं मेरी मदद फ़रमाइये । आप كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ने फ़रमाया : मैं तुम्हें चन्द कलिमात न सिखाऊं जो **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुझे सिखाए हैं, अगर तुम पर ज-बले सीर (एक पहाड़ का नाम) जितना क़र्ज़ होगा तो **अल्लाह** तआ़ला तुम्हारी त़रफ़ से अदा कर देगा, तुम यूं कहा करो : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ[3] आप भी ता हुसूले मुराद हर नमाज़ के बा'द 11, 11 बार और सुब्ह़ व शाम 100, 100 बार रोज़ाना (अव्वल व आख़िर एक एक बार) दुरूद शरीफ़ के साथ) येह कलिमात पढ़िये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ क़र्ज़ उतर जाएगा ।

---

1 ..... अ़मल शुरूअ़ करने से क़ब्ल हुज़ूर ग़ौसे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم के ईसाले सवाब के लिये कम अज़ कम 11 रुपै की नियाज़ और काम हो जाने की सूरत में इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن के ईसाले सवाब के लिये कम अज़ कम पच्चीस रुपै की नियाज़ तक़्सीम कीजिये । मज़्कूरा रक़म की दीनी किताबें भी तक़्सीम की जा सकती हैं । (शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)

2 ..... मुकातब उस ग़ुलाम को कहते हैं जिस ने अपने आक़ा से माल की अदाएगी के बदले आज़ादी का मुआ़-हदा किया हो । (اَلْمُخْتَصَرُ الْقُدُوْرِی، کتاب المکاتب، ص۳۰۸)

3 ..... تِرْمِذِی، احادیث شتی، باب(ت:۱۲۱)، ۵/۳۲۹، حدیث: ۳۵۷۴

www.dawateislami.net

(3) ह़ज़रते सय्यिदुना मुआ़ज़ बिन जबल رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ फ़रमाते हैं कि मैं एक दफ़्अ़ नमाज़े जुमुआ़ में शरीक न हो सका, हुज़ूरे पुरनूर, शाफ़ेए़ यौमुन्नुशूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने वज्ह दरयाफ़्त फ़रमाई तो मैं ने अ़र्ज़ की, कि मैं ने यूह़न्ना बिन बारया यहूदी का कुछ क़र्ज़ देना था वोह मेरे दरवाज़े पर ताड़ लगाए बैठा था कि मैं बाहर निकलूं और वोह मुझे ह़िरासत में ले ले और आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की ख़िदमत में ह़ाज़िर होने से रोक दे। हुज़ूरे पुरनूर, शाफ़ेए़ यौमुन्नुशूर صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ''ऐ मुआ़ज़ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہ) ! क्या तुम पसन्द करते हो कि **अल्लाह** तआ़ला तुम्हारा क़र्ज़ अदा फ़रमाए ?'' मैं ने अ़र्ज़ की : जी हां ! तो आप صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : हर रोज़ येह पढ़ा करो : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا تُعْطِيْ مِنْهُمَا مَنْ تَشَآءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَآءُ اِقْضِ عَنِّيْ دَيْنِيْ (या'नी यूं अ़र्ज़ कर ऐ **अल्लाह** मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे सल्त़नत दे और जिस से चाहे सल्त़नत छीन ले और जिसे चाहे इ़ज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे सारी

www.dawateislami.net

भलाई तेरे ही हाथ है बेशक तू सब कुछ कर सकता है । तू दिन का हिस्सा रात में डाले और रात का हिस्सा दिन में डाले और मुर्दा से ज़िन्दा निकाले और ज़िन्दा से मुर्दा निकाले और जिसे चाहे बे गिनती दे । ऐ दुन्या और आख़िरत में बहुत मेहरबानी और रहमत फ़रमाने वाले ! दुन्या व आख़िरत में से जिसे तू चाहता है उन में से अता फ़रमाता है और जिसे चाहता है उन में से रोक लेता है, मुझ से मेरा क़र्ज़ उतार दे ।) अगर तुझ पर ज़मीन के बराबर सोना भी क़र्ज़ होगा तो **अल्लाह** तआला अदा फ़रमा देगा ।[1]

एयर फ़्रेशनर (Air Freshner) के नुक़्सानात

अर्ज़ : एयर फ़्रेशनर (Air Freshner) के ज़रीए ख़ुश्बू का छिड़काव (Spray) आम होता जा रहा है इस में कोई नुक़्सान तो नहीं ?

इर्शाद : एयर फ़्रेशनर (Air Freshner) का इस्ति'माल आम होता जा रहा है उमूमन इस का छिड़काव ऐसे कमरों में किया जाता है जो बन्द रहते हैं । इस से वक़्ती तौर पर ख़ुश्बू तो आ जाती है, कमरे मुअत्तर हो जाते हैं लेकिन फिर नाक अट जाती है और ख़ुश्बू होने के बा वुजूद कमरे में मौजूद अफ़राद को महसूस नहीं होती । जब कमरे में एयर फ़्रेशनर से छिड़काव किया जाता है तो उस के कीमियावी माद्दे फ़ज़ा में फैल जाते

مدینہ

1 ...... تَفْسِیْرِ قُرْطبی، پ۳، آلِ عمران، تحت الآیة:۲۶، ۲/۴۲، الجزء:۴

www.dawateislami.net

हैं और सांस के ज़रीए फेफड़ों में पहुंच कर नुक़्सान पहुंचाते हैं। एक तिब्बी तह़क़ीक़ के मुताबिक़ एयर फ्रेश्नर के इस्ति'माल से जिल्द का सरत़ान (Skin Cancer) हो सकता है लिहाज़ा एयर फ्रेश्नर से ख़ुश्बू का छिड़काव मत कीजिये कि चन्द लम्हों की ख़ुश्बू की ख़ातिर इतना बड़ा ख़त़रा मोल लेना अ़क़्ल मन्दी नहीं।

कमरा ख़ुश्बूदार करने का त़रीक़ा

अ़र्ज़ : कमरे को ख़ुश्बूदार करने के लिये क्या करना चाहिये ?

इर्शाद : कमरे को ख़ुश्बूदार करने के लिये लोबान[1] की धूनी दें, लोबान जहां फ़ज़ा को मुअ़त्त़र करता है वहां जरासीम का भी ख़ातिमा करता है। आज कल परों वाले कीड़े मारने के लिये जिन अदविया (Flying Insect Killer) का छिड़काव (Spray) किया जाता है उन की जगह लोबान का इस्ति'माल कीजिये कि इस की धूनी अगर सांस में भी चली जाए तो नुक़्सान के बजाए फ़ाएदा ही पहुंचाती और गले की सोज़िश को दूर करती है बशर्ते कि ख़ालिस लोबान हो। अगर ख़ालिस लोबान के साथ सि'तर (इस की ख़ुश्क शाख़ें और

مدینہ

1..... लोबान एक मख़्सूस दरख़्त के तने से निकलने वाली राल दार गोंद है। ग़ालिबन पाकिस्तान में इस की पैदावार नहीं होती लिहाज़ा यहां उ़मूमन नक़्ली लोबान फ़रोख़्त किया जाता है और अगर ख़ालिस लोबान दस्त-याब भी हो तो उस की क़ीमत बहुत ज़ियादा होगी अलबत्ता हिन्द में लोबान के दरख़्त पाए जाते हैं। (शो'बए फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)

www.dawateislami.net

पत्तियां) मिला कर धूनी दी जाए तो न सिर्फ़ आप का कमरा महक उठेगा बल्कि इस की धूनी मख्खी, मच्छर, लाल बेग, छिप-कलियों और दीगर कीड़े मकोड़ों को भगाती है।

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अपने इर्द गिर्द और घरों के माहौल को साफ़ सुथरा और ख़ुश्बूदार रखिये कि इस से जहां जरासीम का ख़ातिमा होता है वहीं घरों में ब-र-कत भी होती है जैसा कि हज़रते सय्यिदुना शैख़ अबुल अ़ब्बास बौनी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى फ़रमाते हैं : ख़ुश्बू सुलगाने से घर में ब-र-कत होती है।

म-दनी माहौल में इस्तिक़ामत

अ़र्ज़ : दा'वते इस्लामी के म-दनी माहौल में इस्तिक़ामत कैसे हासिल हो सकती है ?

इर्शाद : दा'वते इस्लामी के म-दनी माहौल में इस्तिक़ामत हासिल करने के लिये अपने बड़ों की इताअ़त बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ज़ैली, हल्क़ा, अ़लाक़ाई या डिवीज़न मुशा-वरत के निगरान अल ग़रज़ जिस के भी आप मा तहूत हैं उन पर तन्क़ीद करते रहेंगे तो इस की नुहूसत आप को म-दनी माहौल से दूर करती चली जाएगी लिहाज़ा अपने ज़िम्मादारान के बारे में हुस्ने ज़न रखते हुए शरीअ़त के दाएरे में रह कर इन की इताअ़त कीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से इस्तिक़ामत आप का मुक़द्दर बन जाएगी।

www.dawateislami.net

दा'वते इस्लामी के म-दनी माहौल में इस्तिक़ामत का एक बेहतरीन ज़रीआ़ म-दनी काम भी है। जो इस्लामी भाई म-दनी काम करते रहते हैं तो उन की जान पहचान हर ख़ासो आ़म से हो जाती है, अब अगर वोह किसी दिन नहीं आते तो लोग उन के बारे में पूछगछ करते हैं कि "आज फ़ुलां फ़ुलां इस्लामी भाई नहीं आए" और जब वोह इस्लामी भाई अगले दिन आते हैं तो लोग उन से ख़ैरिय्यत दरयाफ़्त करते हैं तो यूं एक महब्बत भरा माहौल बनता और म-दनी कामों में दिल लगता है। याद रखिये ! जिसे म-दनी कामों में इस्तिक़ामत मिल गई اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ उसे म-दनी माहौल में भी इस्तिक़ामत नसीब होगी ।

म-दनी कामों और म-दनी माहौल में इस्तिक़ामत का एक ज़रीआ़ ज़िम्मादारी क़बूल करना भी है । जब किसी बा सलाहिय्यत इस्लामी भाई को कोई ज़िम्मादारी मिलती है तो वोह अपनी ज़िम्मादारी को अह़सन त़रीक़े से निभाने की कोशिश करता है और वोह अपने मक़्सद में उसी वक़्त काम्याब होता है जब वोह ख़ुद म-दनी काम करता है क्यूं कि अगर वोह ख़ुद म-दनी काम न करे तो कमा ह़क़्क़ह़ू दूसरे इस्लामी भाइयों को भी इस की तरग़ीब नहीं दिला सकेगा कि तरग़ीब दिलाने के लिये सरापा तरग़ीब बनना पड़ता है । बहर ह़ाल ज़िम्मादारी लेने से सुस्ती जाती और चुस्ती आती है और ज़िम्मादार का येह ज़ेह्न बनता है कि अगर मैं न गया तो मस्जिद दर्स नहीं होगा या फिर मद्र-सतुल मदीना बराए

www.dawateislami.net

बालिग़ान में इस्लामी भाई नहीं आएंगे या अ़लाक़ाई दौरा बराए नेकी की दा'वत नहीं हो सकेगा या कहीं नए इस्लामी भाई टूट न जाएं या पुराने इस्लामी भाइयों के हौसले मांद न पड़ जाएं तो इस ख़ौफ़ से वोह म-दनी कामों में मु-तह़र्रिक रहता है, यूं ज़िम्मादार के लिये म-दनी कामों और म-दनी माह़ोल में इस्तिक़ामत के अस्बाब होते रहते हैं।

इस के इ़लावा **अल्लाह** तबा-र-क व तआ़ला से दुआ़ भी करते रहना चाहिये कि **या अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! मुझे मरते दम तक म-दनी मर्कज़ का मुत़ीओ़ फ़रमां बरदार बना कर दा'वते इस्लामी के म-दनी माह़ोल में इस्तिक़ामत और म-दनी कामों की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा और मरते वक़्त ईमान पर ख़ातिमा नसीब फ़रमा।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

इस्लामी भाइयों को म-दनी माह़ोल के क़रीब करने का त़रीक़ा

अ़र्ज़ : जो इस्लामी भाई रूठ कर दा'वते इस्लामी का म-दनी काम छोड़ बैठे हों उन्हें कैसे क़रीब किया जाए ?

इर्शाद : जो इस्लामी भाई रूठ कर दा'वते इस्लामी का म-दनी काम छोड़ बैठे हों उन्हें नरमी और ह़िक्मते अ़-मली के साथ म-दनी माह़ोल की ब-र-कतें बता कर दोबारा म-दनी माह़ोल से वाबस्ता करने की कोशिश करनी चाहिये।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ मर्कज़ी मजलिसे शूरा ने 19 म-दनी फूलों पर मुश्तमिल एक पेम्फ़लेट शाएअ़ किया है जो हर म-दनी मश्वरे में तिलावत व ना'त के बा'द पढ़ कर सुनाया जाता है। इस में येह भी है कि ''ऐसों को ढूंडते रहें जो पहले आते थे मगर अब नहीं आते, हफ़्ते में कम अज़् कम एक बिछड़े हुए इस्लामी भाई को दोबारा म-दनी माह़ोल से ज़रूर वाबस्ता करें'' (यहां वोह मुराद नहीं जिन पर तन्ज़ीमी पाबन्दी लगी हो) जब आप ऐसों के पास जाएंगे तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ कुछ न कुछ फ़र्क़ ज़रूर पड़ेगा। क़ुरआने मजीद में है :

﴿ وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (پ ٢٧، الذٰریٰت: ۵۵)

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और समझाओ कि समझाना मुसल्मानों को फ़ाएदा देता है।'' इस त़रह़ اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ म-दनी माह़ोल से बिछड़े हुए इस्लामी भाई दोबारा म-दनी माह़ोल से वाबस्ता हो जाएंगे।

◈◈◈◈◈

ماخذ و مراجع

❄	قرآنِ مجید	کلامِ الٰہی	❄ ❄ ❄ ❄
نمبر شمار	نام کتاب	مصنف/مؤلف	مطبوعہ
1	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفّٰی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینۃ ۱۴۳۲ھ
2	خزائن العرفان	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی، متوفّٰی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینۃ ۱۴۳۲ھ
3	تفسیر القرطبی	علامہ ابو عبد اللہ بن احمد انصاری قرطبی، متوفّٰی ۶۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ
4	صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفّٰی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۹ھ

www.dawateislami.net

5	صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، متوفّٰی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۴۱۹ھ
6	سنن الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفّٰی ۲۷۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
7	سنن ابی داود	امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفّٰی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
8	سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ، متوفّٰی ۲۷۳ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
9	السنن الکبریٰ	امام احمد بن شعیب نسائی، متوفّٰی ۳۰۳ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۱ھ
10	المعجم الاوسط	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفّٰی ۳۶۰ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
11	کنز العمال	علامہ علاء الدین علی بن حسام الدین ہندی، متوفّٰی ۹۷۵ھ	دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۹ھ
12	مرآۃ المناجیح	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفّٰی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
13	نزھۃ القاری	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفّٰی ۱۴۲۰ھ	فرید بک اسٹال مرکز الاولیا لاہور
14	کیمیائے سعادت	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفّٰی ۵۰۵ھ	انتشاراتِ گنجینہ تہران
15	الدر المختار	محمد بن علی المعروف بہ علاء الدین حصکفی متوفّٰی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
16	الفتاویٰ الھندیہ	علامہ ہمام مولانا شیخ نظام، متوفّٰی ۱۱۶۱ھ و جماعۃ من علماء الہند	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
17	مختصر القدوری	علامہ ابو الحسین احمد بن محمد القدوری، متوفّٰی ۴۲۸ھ	مکتبہ ضیائیہ راولپنڈی
18	غمز عیون البصائر	شیخ سید احمد بن محمد حموی، متوفّٰی ۱۰۹۸ھ	باب المدینہ کراچی ۱۴۱۸ھ
19	غنیۃ المتملی	علامہ محمد ابراہیم بن حلبی، متوفّٰی ۹۵۶ھ	سہیل اکیڈمی مرکز الاولیا لاہور
20	خلاصہ الفتاویٰ	علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، متوفّٰی ۵۴۲ھ	کوئٹہ پاکستان
21	فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفّٰی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیا لاہور
22	بہارِ شریعت	صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفّٰی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی
23	احکامِ شریعت	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفّٰی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی
24	مناقب امام اعظم	الموفق بن احمد المکی، متوفّٰی ۵۶۸ھ	کوئٹہ پاکستان
25	حیاتِ اعلیٰ حضرت	ملک العلماء محمد ظفر الدین بہاری، متوفّٰی ۱۳۸۲ھ	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

www.dawateislami.net

फ़ेहरिस्त

उ़न्वान	सफ़ह़ा	उ़न्वान	सफ़ह़ा
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	2	क़ुरआने पाक पढ़ कर भुला देने का गुनाह	16
मस्जिद का कूड़ा कहां डाला जाए ?	3	क़र्ज़ की अदाएगी में बिला वज्ह ताख़ीर करना	17
मस्जिद के बक़िय्या मल्बे का हुक्म	3	अच्छी निय्यत से क़र्ज़ लेना	21
मस्जिद में सुवाल करना कैसा ?	5	क़र्ज़दार को मोहलत देने के फ़ज़ाइल	23
मस्जिद या मद्रसे के लिये चन्दा करना	6	क़र्ज़ उतारने के वज़ाइफ़	26
मस्जिद में से गुज़रने का हुक्म	7	एयर फ़्रेश्नर (Air Freshner) के नुक़्सानात	29
मस्जिद को सड़क बनाना कैसा ?	9	कमरा ख़ुश्बूदार करने का त़रीक़ा	30
छोटे ना समझ बच्चों को मस्जिद में लाना	10	म-दनी माह़ोल में इस्तिक़ामत	31
सोते वक़्त इमामे शरीफ़ को तक्या बनाना	12	इस्लामी भाइयों को म-दनी माह़ोल के क़रीब करने का त़रीक़ा	33
मन्च के बजाए सीढ़ियों पर बैठने में ह़िक्मत	12	मआख़िज़ो मराजेअ़	34
बुलन्द आवाज़ से तिलावत करने की मुमा-न-अ़त	14	★★★★★	36

www.dawateislami.net

फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा (क़िस्त : 13)

Sadate Kiram Ki Azamat (Hindi)

सादाते किराम की अ़-ज़मत

(मअ़ दीगर दिलचस्प सुवाल व जवाब)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी** دامت برکاتہم العالیہ के म-दनी मुज़ा-करे की रोशनी में मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या के शो'बे "फ़ैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा" की त़रफ़ से नए मवाद के काफ़ी इज़ाफ़े के साथ मुरत्तब किया गया है।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुमा'रात बा'द नमाज़े इशा आप के यहां होने वाले **दा'वते इस्लामी** के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ़रमाइये ۞ सुन्नतों की तरबियत के लिये **म-दनी क़ाफ़िले** में आ़शिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ۞ रोज़ाना "**फ़िक्रे मदीना**" के ज़रीए **म-दनी इन्आ़मात** का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह की पहली तारीख़ में अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ़ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा म-दनी मक़्सद : "**मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश करनी है।** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ " अपनी इस्लाह़ के लिये "**म-दनी इन्आ़मात**" पर अ़मल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश के लिये "**म-दनी क़ाफ़िलों**" में सफ़र करना है।

मक-त-बतुल मदीना®
दा'वते इस्लामी
फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर, अह़मदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net